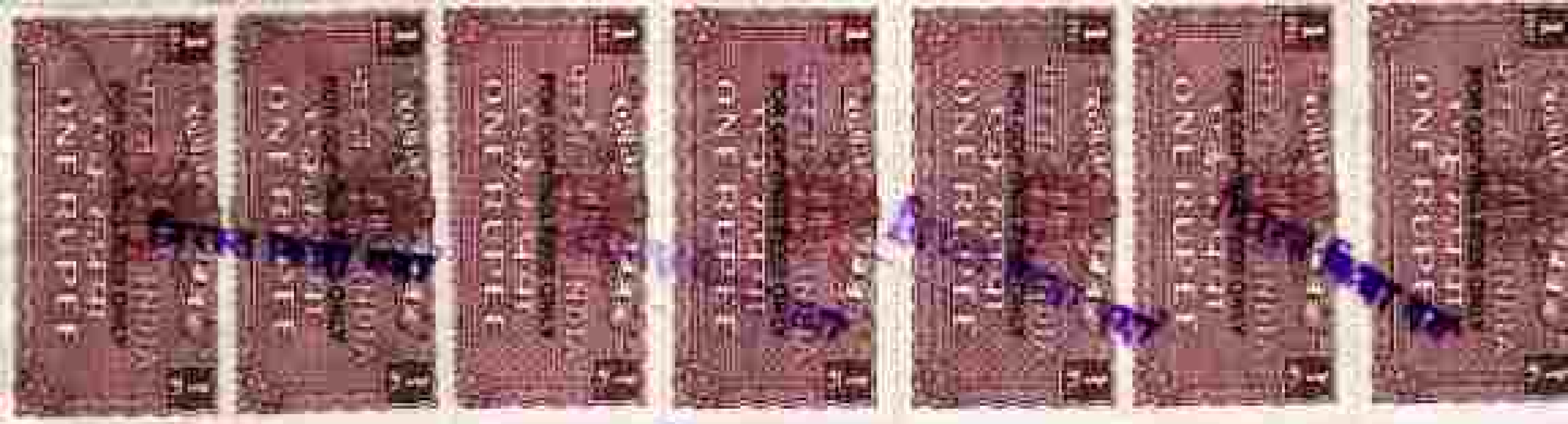

22
19/10/2022
07

नकल आदेश दिनांक- 19-10-2022 वाद T-202115090700341 धारा-80 [illegible]
[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] (न्यायिक) के न्यायालय [illegible] 19-11-20[illegible]

नोट- फोटोकॉपी [illegible]

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर),न्यायिक
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :बलिया,तहसील :बेल्थरा रोड
वाद संख्या :-00341/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202115090700341
भारती मिमोरियल जन0क0 बनाम गांव सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद भारती मिमोरियल जनकल्याण ट्रस्ट कसीम्हर ने दाखिल कर निवेदन किया है कि सम्बन्धित आराजी मजाई के हम जरिये बैनामा साविपाथ संक्रमणीय भूमिधर है, तथा बतौर विद्यालय/अकृष्य काबिज दाखिल चले आ रहे है, उक्त आराजी मे भवन का निर्माण भी हो चुका है, तथा कुछ भाग पर बाउन्ड्री का निर्माण हो चुका है, उक्त आराजी मजाई मे भवन व हैण्ड पम्प तथा शौचालय बाउन्ड्री होने के कारण अकृष्य है। अन्त मे याचना की गयी है कि उक्त गाटा संख्या के बाबत रिपोर्ट तलब कर अकृष्य घोषित करने की कृपा की जाय।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर तहसीलदार बेल्थरारोड से दिनांक–11.02.2021 को रिपोर्ट तलब किया गया। तहसीलदार बेल्थरारोड ने राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट तलब किया। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक–22.16.2021 को रिपोर्ट दिया है। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तहसीलदार बेल्थरारोड ने दिनांक–01.07.2022 को अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि मौजा–कसीम्हर परगना–सिकन्दरपुर गर्बी के कुल 15 गाटा सम्पूर्ण रकबा–1.703हे0 पर कृषि कार्य या उससे सम्बन्धित कार्य न होने के कारण उ0प्र0रा0सं0–2006 की धारा 80 के तहत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु स्थलीय फोटो ग्राफ व नक्शा खतौनी संलग्न कर आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है। तहसीलदार बेल्थरारोड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपनिबन्धक बेल्थरारोड से मूल्यांकन आख्या तलब की गयी जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। उपनिबन्धक बेल्थरारोड के मूल्यांकन रिपोर्ट के क्रम मे वादी द्वारा 1,10,690रू (एक लाख दस हजार छः सौ नब्बे रुपया) का ट्रेजरी चालान व 1,10,700रू0 (एक लाख दस हजार सात सौ रुपया) भारतीय कोर्ट फीस स्टाम्प प्रस्तुत किया है जो संलग्न पत्रावली है। दिनांक–21.07.2022 को शासकीय अधिवक्ता व चकबन्दी अधिकारी बेल्थरारोड से रिपोर्ट तलब किया गया जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। दिनांक–25.07.2022 को चकबन्दी अधिकारी बेल्थरारोड ने अपने रिपोर्ट मे अंकित किया है कि सम्बन्धित आराजियात का सम्पूर्ण क्षेत्रफल स्थल पर भवन व परती के रुप मे है। फलस्वरुप उक्त क्षेत्रफल को अकृषक किये जाने से चकबन्दी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नही है। दिनांक–16.08.2022 को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बलिया से आख्या तलब किया गया, जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली मे बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक–16.08.2022 मे स्पष्ट दर्शाया गया है कि सम्बन्धित गाटो का सम्पूर्ण क्षेत्रफल स्थल पर भवन व परती के रुप मे है, फलस्वरुप अकृषिक किये जाने से चकबन्दी प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय द्वारा दिनांक–08.08.2022 मे भी यह स्पष्ट किया गया है कि भारती मिमोरियल जनकल्याण ट्रस्ट कसीम्हर के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने वाले आराजियात पर विद्यालय का भवन निर्मित है और वहाँ विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। सम्पूर्ण परिस्थितियो मे उ0प्र0रा0सं0–2006 की धारा–80 के सम्पूर्ण प्राविधानो एवं नियम 85 के प्राविधानो के अनुपालन करते हुए मेरे मत से अकृषक किये जाने मे कोई विधिक व्यवधान नही है।

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर) न्यायिक
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :बलिया,तहसील :बेल्थरा रोड
वाद संख्या :-00341/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202115090700341
भारती मिमोरियल अम0क0 बनाम गाँव सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(2)

चूंकि पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार बेल्थरारोड की रिपोर्ट दिनांक–01.07.2022 एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बलिया की रिपोर्ट दिनांक–16.08.2022 का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत है। फलस्वरूप तहसीलदार बेल्थरारोड की रिपोर्ट दिनांक–01.07.2022 व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बलिया की रिपोर्ट दिनांक–16.08.2022 स्वीकार करते हुए उ0प्र0रा0सं0–2006 की धारा 80 के अन्तर्गत सम्बन्धित भूमि अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना पर तहसीलदार बेल्थरारोड की रिपोर्ट दिनांक–01.07.2022 व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बलिया की रिपोर्ट दिनांक–16.08.2022 स्वीकार करते हुए उ0प्र0रा0सं0–2006 की धारा 80 के अन्तर्गत मौजा–कसौण्डर परगना–सिकन्दरपुर पश्चिम में स्थित आ0नं0–403मि0 रकबा–0.134है0, आ0नं0–403मि0 रकबा–0.130है0, आ0नं0–404क रकबा–0.029है0, आ0नं0–414 रकबा–0.077है0, आ0नं0–415 रकबा–0.024है0, आ0नं0–403मि0 रकबा–0.158है0, आ0नं0–404 रकबा–0.053है0, आ0नं0–404 रकबा–0.061है0, आ0नं0–415 रकबा–0.097है0, आ0नं0–416 रकबा–0.239है0, आ0नं0–403मि0 रकबा–0.573है0, आ0नं0–404क रकबा–0.024है0, आ0नं0–404क रकबा–0.020है0, आ0नं0–414 रकबा–0.064है0 व आ0नं0–415 रकबा–0.020है0 कुल 15 गाटा रकबा–1.703है0 जो भारती मिमोरियल जनकल्याण ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट–कसौण्डर के नाम दर्ज है, को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए भू–राजस्व से अवमुक्त किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19/10/2022

(हस्ताक्षर) तिवारी)
उप जिलाधिकारी(न्यायिक)
बेल्थरारोड।

न्यायालय उपजिलाधिकारी न्यायिक बेल्थरारोड
प्रार्थना पत्र का दिनांक 19-10-2022
तैयार करने का दिनांक 20-10-2022
नकल देने का दिनांक 20-10-2022
प्रमाणित प्रतिलिपि
नकल...
प्रतिलिपिक

पृष्ठ संख्या :